23/4

LT-9503/75

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3(i)
AS G.S.R. 396 DATED 22-3-1975.

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralya)
Department of Mines (Khan Vibhag)

New Delhi the 14th March, 1975
Phalguna 23, 1896 S.E.

N_O_T_I_F_I_C_A_T_I_O_N

G.S.R. 396 In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960 namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 54 of the Mineral Concession Rules, 1960, for the expression "Head of Account-XXXII-Miscellaneous Social and Developmental Organisations-Central-Mineral Concession Fees", the expression "Head of Account-128-Mines and Minerals-Mines Department-Mineral Concession Fees and Royalties" shall be substituted.

File No. MV-3(1)/74

Sd/-
(R.K. Nayak)
Deputy Secretary to the Government of India

To

The Manager Publication,
Govt. of India Press,
Ring Road, Mayapuri Indl. Area,
Nr. Rajouri Garden,
New Delhi.

LT- 9503/75

(भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(i) में सा0 का0 नि0 396 दिनांक ... के रूप में प्रकाशित)

भारत सरकार

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1975
23 फाल्गुन, 1896 (शक)

अधिसूचना

जी.एस. आर. 396 खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, खनिज रियायत नियमावली, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1- (1) इन नियमों को खनिज रियायत (संशोधन) नियमावली, 1975 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2- खनिज रियायत, नियमावली, 1960, के नियम 54 में, "लेखा शीर्ष - XXXII - विविध सामाजिक तथा विकास संगठन - केन्द्रीय खनिज रियायत फीस", वाक्य के स्थान पर "लेखा शीर्ष - 128 - खान और खनिज - खान विभाग - खनिज रियायत फीस और स्वामित्व" वाक्य प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

फाइल संख्या खान-5 -3(1)/74

ह०

(आर0 के0 नायक)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
रजौरी गार्डन के समीप,
नई दिल्ली ।